L. A. BILL No. XVI OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०२२।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६२ का महा. ५।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, और, इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, १४ जुलाई २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिती (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) १४ जुलाई २०२२ को प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

सन १९६२ का महा. ५ की धारा ४३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ४३ की उप-धारा (१) में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५।

" परन्तु, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक पर पद में रहे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि, राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तीन महीनों तक बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु आगे यह कि, उपर्युक्त परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि धारा १० में यथा उपबंधित निर्वाचित पार्षदों की पदावधि सहविस्तारी होगा । "।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

३. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उभ्दूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उभ्दूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, **यथा संभव शीघ्र**, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन २०२२ का महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ का निरसन और व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२२ का अध्यादेश क्रमांक ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत्, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ का महा. ५) की धारा ४३ यह उपबंध करती है कि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि ढ़ाई वर्ष को होगी। उक्त अधिनियम की धारा ६५ यह उपबंध करती है कि, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा ४३ के उपबंध पंचायत समितीयों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अवधि के संबंध मे **यथा आवश्यक परिवर्तन समेत** लागू होगी।

२. राज्य के कई जिलों में जिला परिषदों के विद्यमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और पंचायत समितियों के विद्यमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पदावधियों जल्द ही समाप्त होनेवाली है। जिला परिषद और पंचायत समिति के उक्त पीठासीन प्राधिकारियों के पदों का निर्वाचन, आरक्षण प्रक्रिया के कार्यान्वयन द्वारा कार्यान्विन करने की आवश्यकता है। राज्य में प्रभावी रूप से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिये और जिला परिषद और पंचायत समिति और उनके प्रशासन के हित में यह तत्काल उपबंध करना आवश्यक है कि राज्य सरकार, जिला परिषद और पंचायत समिति के उक्त पीठासीन प्राधिकारी की अवधि तीन महीनों तक बढ़ा सकेगी, उक्त उपबंधों के अध्यधीन, उक्त पीठासीन प्राधिकारियों की उक्त बढ़ाई गई अवधियाँ उक्त अधिनियम की धारा १० में यथा उपबंधित निर्वाचित पार्षदा की पदावधियाँ सहविस्तारी होगी।

३. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ का महा. ५) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन २०२२ का महा. अध्या. क्र. ३) १४ जुलाई २०२२ प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त, २०२२।

एकनाथ संभाजी शिंदे,
मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड २.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ की धारा ४३ के परंतुक को जोडना है, कार्यालय में, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद की अवधि, किसी आदेश द्वारा तीन महिने तक बढाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई।

खण्ड ३.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उभ्दूत कोई कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२ ।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.